

दिनांक-04.03.2024 को मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति (State Executive Committee) की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति के बैठक की कार्यवाही :

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. श्री एल० खियांगते,
मुख्य सचिव, झारखण्ड। | - | अध्यक्ष |
| 2. अमिताभ कौशल,
सचिव,
आपदा प्रबंधन प्रभाग,
झारखण्ड, राँची। | - | सदस्य सचिव |
| 3. श्री प्रशांत कुमार,
सचिव
वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची। | - | सदस्य |
| 4. श्री आलोक त्रिवेदी,
प्रतिनिधि,
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
विभाग, झारखण्ड, राँची। | - | सदस्य |

निर्णय :- 01

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्रांक-16/11/2021-RR, दिनांक-11.09.2021 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-04/2020-NDM-I, दिनांक-25.09.2021 द्वारा निर्गत मद एवं मानदण्ड के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 के संक्रमण से प्रति मृतक के लिये निर्धारित 50,000/- रुपये की दर से अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु जिलों को उनसे प्राप्त अधियाचना के आलोक में उनके नाम के सामने अंकित राशि को मुख्यशीर्ष-2245 के सुसंगत शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त शीर्ष में उपबंधित राशि से जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की गई।

क्र०सं०	जिला	पत्रांक/दिनांक	अधियाचित राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	राँची	39(i)/26.02.2024	20,00,000	20,00,000
2.	लोहरदगा	925/05.08.2023	20,00,000	20,00,000
3.	गुमला	102/27.01.2024	5,00,000	5,00,000
4.	पलामू	176/11.09.2023	8,00,000	8,00,000
5.	गढ़वा	317/21.12.2023	4,00,000	4,00,000
6.	पश्चिमी सिंहभूम	2102/26.12.2023	5,00,000	5,00,000
7.	सरायकेला-खरसावाँ	155/22.01.2024	1,00,000	1,00,000
8.	जामताड़ा	13/05.01.2024	10,00,000	10,00,000
9.	धनबाद	3548/21.09.2023	37,50,000	37,50,000
10.	बोकारो	2113/13.10.2023	12,00,000	12,00,000
11.	लातेहार	1731/30.12.2023	5,00,000	5,00,000
योग -			1,27,50,000	1,27,50,000

निर्णय :- 02

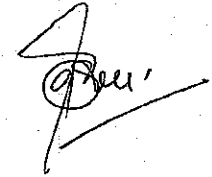
विभागीय संकल्प सं०-969, दिनांक-25.10.2018, संकल्प संख्या-184, दिनांक-13.03.2021 एवं संकल्प-186, दिनांक-06.03.2023 के आलोक में राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा- अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) से होनेवाले जानमाल की क्षति, सर्पदंश, खनन जनित आपदा, रेडियेशन संबंधी आपदा, पानी में डूबने, भगदड़ एवं गैस रिसाव तथा सड़क दुर्घटना से मृत व्यक्ति के आश्रित/हकदार के निमित्त अनुग्रह अनुदान हेतु भुगतान हेतु जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में उनके नाम के सामने अंकित राशि को मुख्यशीर्ष-2245 के सुसंगत शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपबंधित राशि से जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की गई।

क्र० सं०	जिला का नाम	पत्रांक/दिनांक	अधियाचित राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	राँची	39(i)/26.02.2024	1,50,00,000	1,00,00,000
		38(I)/26.02.2024	52,207	52,207
2.	खूँटी	642/26.12.2023	57,00,000	57,00,000
3.	लोहरदगा	219/01.03.2024	60,00,000	50,00,000
4.	गुमला	102/27.01.2024	2,00,00,000	1,70,00,000
5.	सिमडेगा	1597/17.10.2023	1,00,00,000	80,00,000
6.	लातेहार	155/16.02.2024	6,00,000	6,00,000
7.	पलामू	अप्राप्त	-----	10,00,000
8.	गढ़वा	317/21.12.2023	96,41,200	96,41,200
9.	पश्चिमी सिंहभूम	अप्राप्त	-----	10,00,000
10.	सरायकेला-खरसावाँ	3025/23.12.2023	70,00,000	40,00,000
11.	पूर्वी सिंहभूम	2714/16.11.2023	1,01,00,000	1,01,00,000
12.	दुमका	230/14.11.2023	(अस्पष्ट) 19,50,000	19,00,000
13.	जामताड़ा	21/06.01.2024	34,73,100	34,73,100
14.	साहेबगंज	अप्राप्त	-----	10,00,000
15.	पाकुड़	अप्राप्त	-----	10,00,000
16.	गोड्डा	203/17.07.2023	1,30,00,000	1,00,00,000
17.	देवघर	72/09.01.2024	33,00,000	33,00,000
18.	हजारीबाग	168/18.01.2024	1,00,00,000	75,00,000
19.	रामगढ़	1643/28.12.2023	25,00,000	20,00,000
20.	चतरा	1922/05.12.2023	1,80,00,000	1,80,00,000
21.	कोडरमा	अप्राप्त	-----	10,00,000
22.	गिरिडीह	3099/06.12.2023	80,00,000	70,00,000
23.	धनबाद	अप्राप्त	-----	10,00,000
24.	बोकारो	2385/05.12.2023	60,00,000	40,00,000
कुल योग -			15,03,16,507	13,32,66,507

निर्णय :- 03

विभागीय संकल्प सं०-1055, दिनांक 11.09.2015 के आलोक में राज्य की घोषित विशिष्ट स्थानीय आपदा- वज्रपात से मृत/घायल व्यक्ति तथा पशु के Replacement हेतु आश्रित/लाभुक को अनुग्रह भुगतान हेतु जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में उनके नाम के सामने अंकित राशि को गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-03/2020-NDM-I, दिनांक-11.07.2023 द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि हेतु निर्गत मद एवं मानदण्ड में वर्णित प्रावधानानुसार मुख्यशीर्ष-2245 के शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपबंधित राशि से जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की गई।

क्र०सं०	जिला का नाम	पत्रांक/दिनांक	अधियाचित राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	राँची	39(i)/26.02.2024	1,50,00,000	1,00,00,000
2.	खूँटी	अप्राप्त	-----	10,00,000
3.	लोहरदगा	अप्राप्त	-----	10,00,000
4.	गुमला	102/27.01.2024	59,36,500	59,36,500
5.	सिमडेगा	अप्राप्त	-----	10,00,000
6.	लातेहार	अप्राप्त	-----	10,00,000
7.	पलामू	225/11.12.2023	43,35,400	43,35,400
8.	गढ़वा	317/21.12.2023	76,76,000	76,76,000
9.	पश्चिमी सिंहभूम	अप्राप्त	-----	10,00,000
10.	सरायकेला-खरसावाँ	1876/20.08.2023	70,00,000	50,00,000
11.	पूर्वी सिंहभूम	अप्राप्त	-----	10,00,000
12.	दुमका	206/13.10.2023	50,00,000	30,00,000
13.	जामताड़ा	अप्राप्त	-----	10,00,000
14.	साहेबगंज	अप्राप्त	-----	10,00,000
15.	पाकुड़	अप्राप्त	-----	10,00,000
16.	गोड्डा	203/17.07.2023	60,00,000	35,00,000
17.	देवघर	अप्राप्त	-----	10,00,000
18.	हजारीबाग	168/18.01.2024	75,91,000	75,91,000
19.	रामगढ़	1404/19.10.2023	25,19,500	25,19,500
20.	चतरा	2063/29.12.2023	20,00,000	20,00,000
21.	कोडरमा	1196/14.09.2023	30,00,000	26,00,000
22.	गिरिडीह	3099/06.12.2023	64,00,000	40,00,000
23.	धनबाद	अप्राप्त	-----	10,00,000
24.	बोकारो	2384/05.12.2023	30,00,000	25,00,000
कुल योग -			7,54,58,400	7,16,58,400



वित्तीय वर्ष 2023-24 में विपत्र कोड-39-S-2245-80-102-11-00-06-79 में कुल 15.00 करोड़ की राशि का उपबन्ध प्राप्त है। जिसके विरुद्ध 11,01,66,000/- की राशि आवंटित की गई है। वर्तमान में ₹ 3,98,34,000/- की राशि उपलब्ध है, जबकि ₹ 7,54,58,400/- के विरुद्ध ₹ 7,16,58,400/- की राशि स्वीकृत है। आवश्यकतानुसार शेष राशि का पुनर्विनियोग सुसंगत शीर्ष से करा लिया जायेगा।

निर्णय :- 04

भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राकृतिक आपदाओं से हुए क्षति के संदर्भ में जिलों को उनसे प्राप्त अधियाचना के आलोक में उनके नाम के सामने अंकित प्रस्तावित राशि को गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-03/2020-NDM-I, दिनांक-11.07.2023 द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि हेतु निर्गत मद एवं मानदण्ड में वर्णित प्रावधानानुसार मुख्यशीर्ष-2245 के सुसंगत शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपबंधित राशि से जिलों को उनके नाम के सामने निम्नलिखित कडिका-I, II, III, IV एवं V में अंकित राशि उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की गई।

(I) प्राकृतिक आपदा- बाढ़, चक्रवात आदि (अग्निकाण्ड सहित) से संतप्त परिवार हेतु :-

क्र० सं०	जिला का नाम	पत्रांक/दिनांक	अधियाचित राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	राँची	39(i)/26.02.2024	12,00,000	12,00,000
2	खूँटी	अप्राप्त	-----	-----
3	लोहरदगा	अप्राप्त	-----	-----
4	गुमला	अप्राप्त	-----	-----
5	सिमडेगा	अप्राप्त	-----	-----
6	लातेहार	अप्राप्त	-----	-----
7	पलामू	अप्राप्त	-----	-----
8	गढ़वा	अप्राप्त	-----	-----
9	पश्चिमी सिंहभूम	अप्राप्त	-----	-----
10	सरायकेला-खरसावाँ	1876/28.08.2023	35,00,000	35,00,000
11	पूर्वी सिंहभूम	2934/14.12.2023	8,00,000	8,00,000
12	दुमका	अप्राप्त	-----	-----
13	जामताड़ा	अप्राप्त	-----	-----
14	साहेबगंज	अप्राप्त	-----	-----
15	पाकुड़	अप्राप्त	-----	-----
16	गोड्डा	अप्राप्त	-----	-----
17	देवघर	72/09.01.2024	20,00,000	20,00,000
18	हजारीबाग	अप्राप्त	-----	-----
19	रामगढ़	अप्राप्त	-----	-----

20	चतरा	अप्राप्त	-----	-----
21	कोडरमा	अप्राप्त	-----	-----
22	गिरिडीह	अप्राप्त	-----	-----
23	धनबाद	4557 / 14.12.2023	40,00,000	40,00,000
24	बोकारो	अप्राप्त	-----	-----
कुल			1,15,00,000	1,15,00,000

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यशीर्ष-2245 अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष-03-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (विपत्र कोड-39-S-2245-02-101-03-00-06-79) में 30,00,00,000/- (तीस करोड़) रुपये की उपबंधित राशि के विरुद्ध वर्तमान में 27,04,00,000/- रुपये शेष है।

(II) प्राकृतिक आपदा - बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि (अग्निकाण्ड सहित) से क्षतिग्रस्त फसल हेतु प्रभावित कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान :-

क्र० सं०	जिला का नाम	पत्रांक/दिनांक	अधियाचित राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	राँची	39(i) / 26.02.2024	1,50,00,000	1,50,00,000
		38(I) / 26.02.2024	1,06,25,459	1,06,25,459
2.	खूँटी	अप्राप्त	-----	-----
3.	लोहरदगा	अप्राप्त	-----	-----
4.	गुमला	अप्राप्त	-----	-----
5.	सिमडेगा	अप्राप्त	-----	-----
6.	लातेहार	अप्राप्त	-----	-----
7.	पलामू	अप्राप्त	-----	-----
8.	गढ़वा	अप्राप्त	-----	-----
9.	पश्चिमी सिंहभूम	अप्राप्त	-----	-----
10.	सरायकेला-खरसावाँ	1876 / 28.08.2023	20,00,000	20,00,000
11.	पूर्वी सिंहभूम	अप्राप्त	-----	-----
12.	दुमका	अप्राप्त	-----	-----
13.	जामताड़ा	अप्राप्त	-----	-----
14.	साहेबगंज	अप्राप्त	-----	-----
15.	पाकुड़	अप्राप्त	-----	-----
16.	गोड्डा	अप्राप्त	-----	-----
17.	देवघर	72 / 09.01.2024	अस्पष्ट	-----
18.	हजारीबाग	अप्राप्त	-----	-----

19.	रामगढ़	अप्राप्त	-----	-----
20.	चतरा	अप्राप्त	-----	-----
21.	कोडरमा	अप्राप्त	-----	-----
22.	गिरिडीह	अप्राप्त	-----	-----
23.	धनबाद	अप्राप्त	-----	-----
24.	बोकारो	अप्राप्त	-----	-----
कुल			2,76,25,459	2,76,25,459

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यशीर्ष-2245 अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उप शीर्ष-01-कृषि इनपुट अनुदान, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43-अनुक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (विपत्र कोड-39-S-2245-02-114-01-00-05-43) में 100,00,00,000/- (एक सौ करोड़) रुपये की उपबंधित राशि के विरुद्ध वर्तमान में 98,10,00,000/- रुपये शेष है।

(III) प्राकृतिक आपदा - बाढ़, चक्रवात आदि (अग्निकाण्ड सहित) से क्षतिग्रस्त कपड़ा-बर्तन के लिए अनुग्रह अनुदान हेतु :-

क्र० सं०	जिला का नाम	पत्रांक/दिनांक	अधियाचित राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	राँची	39(i)/26.02.2024	5,00,000	5,00,000
2.	खूँटी	अप्राप्त	-----	-----
3.	लोहरदगा	अप्राप्त	-----	-----
4.	गुमला	अप्राप्त	-----	-----
5.	सिमडेगा	अप्राप्त	-----	-----
6.	लातेहार	अप्राप्त	-----	-----
7.	पलामू	अप्राप्त	-----	-----
8.	गढ़वा	317/21.12.2023	18,800	18,800
9.	पश्चिमी सिंहभूम	9(A)/11.01.2024	12,00,000	12,00,000
10.	सरायकेला-खरसावाँ	1876/28.08.2023	10,00,000	10,00,000
11.	पूर्वी सिंहभूम	2934/14.12.2023	3,800	3,800
12.	दुमका	230/14.11.2023	50,000	50,000
13.	जामताड़ा	अप्राप्त	-----	-----
14.	साहेबगंज	127/25.04.2023	5,00,000	5,00,000
15.	पाकुड़	757/23.05.2023	1,00,000	1,00,000
16.	गोड्डा	173/23.05.2023	2,00,000	2,00,000
17.	देवघर	72/09.01.2024	अस्पष्ट	-----
18.	हजारीबाग	अप्राप्त	-----	-----

19.	रामगाढ़	अप्राप्त	-----	-----
20.	चतरा	990 / 02.06.2023 1922 / 05.12.2023	50,000	50,000
21.	कोडरमा	अप्राप्त	-----	-----
22.	गिरिडीह	अप्राप्त	-----	-----
23.	धनबाद	1920 / 31.05.2023	1,00,000	1,00,000
24.	बोकारो	अप्राप्त	-----	-----
कुल			37,22,600	37,22,600

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यशीर्ष-2245 अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-अनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष-04-प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 49-आर्थिक सहायता (विपत्र कोड-39-S-2245-02-101-04-00-06-49) में 3,00,00,000/- (तीन करोड़) रुपये की उपबंधित राशि के विरुद्ध वर्तमान में 2,56,50,800/- रुपये शेष है।

(IV) प्राकृतिक आपदा - बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि (अग्निकाण्ड सहित) से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए अनुग्रह अनुदान हेतु :-

क्र०सं०	जिला का नाम	पत्रांक/दिनांक	अधियाचित राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	राँची	39(i) / 26.02.2024	25,00,000	25,00,000
2.	खूँटी	अप्राप्त	-----	-----
3.	लोहरदगा	अप्राप्त	-----	-----
4.	गुमला	अप्राप्त	-----	-----
5.	सिमडेगा	884(ii)/06.06.2023	2,00,000	2,00,000
6.	लातेहार	155 / 16.02.2024	6,00,000	6,00,000
7.	पलामू	228 / 11.12.2023	5,00,000	5,00,000
8.	गढ़वा	317 / 21.12.2023	6,58,800	6,58,800
9.	पश्चिमी सिंहभूम	9(A) / 11.01.2024	50,00,000	50,00,000
10.	सरायकेला-खरसावाँ	1876 / 28.08.2023	50,00,000	50,00,000
11.	पूर्वी सिंहभूम	2934 / 14.12.2023	23,91,300	23,91,300
12.	दुमका	230 / 14.11.2023	20,00,000	20,00,000
13.	जामताड़ा	अप्राप्त	-----	-----
14.	साहेबगंज	127 / 25.04.2023	अस्पष्ट	-----
15.	पाकुड़	757 / 23.05.2023	18,00,000	18,00,000
16.	गोड्डा	173 / 23.05.2023	10,00,000	10,00,000
17.	देवघर	72 / 09.01.2024	अस्पष्ट	-----
18.	हजारीबाग	अप्राप्त	-----	-----

19.	रामगढ़	अप्राप्त	-----	-----
20.	चतरा	990 / 02.06.2023 1922 / 05.12.2023	20,50,000	20,50,000
21.	कोडरमा	अप्राप्त	-----	-----
22.	गिरिडीह	1259 / 31.05.2023	8,00,000	8,00,000
23.	धनबाद	1920/31.05.2023	8,00,000	8,00,000
24.	बोकारो	अप्राप्त	-----	-----
कुल			2,53,00,100	2,53,00,100

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यशीर्ष-2245 अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-113-घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता, उप शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापना, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43-अनुरक्षण मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) (विपत्र कोड-39-S-2245-02-113-02-00-05-43) में 30,00,00,000/- (तीस करोड़) रुपये की उपबंधित राशि के विरुद्ध वर्तमान में 29,99,04,900/- रुपये शेष है।

(V) प्राकृतिक आपदा - बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि (अग्निकाण्ड सहित) से घायल के लिए अनुग्रह अनुदान हेतु :-

क्र०सं०	जिला का नाम	पत्रांक/दिनांक	अधियाचित राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	राँची	256/24.04.2023	5,00,000	5,00,000
2.	खूँटी	अप्राप्त	-----	-----
3.	लोहरदगा	अप्राप्त	-----	-----
4.	गुमला	अप्राप्त	-----	-----
5.	सिमडेगा	884(ii)/06.06.2023	50,000	50,000
6.	लातेहार	762/26.05.2023	1,00,000	1,00,000
7.	पलामू	111/10.05.2023	50,000	50,000
8.	गढ़वा	अप्राप्त	-----	-----
9.	पश्चिमी सिंहभूम	9(A)/11.01.2024	17,000	17,000
10.	सरायकेला-खरसावाँ	1876/28.08.2023	50,000	50,000
11.	पूर्वी सिंहभूम	अप्राप्त	-----	-----
12.	दुमका	अप्राप्त	-----	-----
13.	जामताड़ा	अप्राप्त	-----	-----
14.	साहेबगंज	127/25.04.2023	अस्पष्ट	-----
15.	पाकुड़	अप्राप्त	-----	-----
16.	गोड्डा	अप्राप्त	-----	-----
17.	देवघर	अप्राप्त	-----	-----

18.	हजारीबाग	अप्राप्त	-----	-----
19.	रामगढ़	अप्राप्त	-----	-----
20.	चतरा	990/02.06.2023	1,00,000	1,00,000
21.	कोडरमा	767/31.05.2023	5,00,000	5,00,000
22.	गिरिडीह	अप्राप्त	-----	-----
23.	धनबाद	1920/31.05.2023	5,00,000	5,00,000
24.	बोकारो	अप्राप्त	-----	-----
कुल			18,67,000	18,67,000

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यशीर्ष-2245 अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-अनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष-05-घायलों के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 49-आर्थिक सहायता (विपत्र कोड-39-S-2245-02-101-05-00-06-49) में 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपये उपबंधित है। इसके अलावे शेष प्रस्तावित राशि का उल्लेखित इकाई मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अन्य सुसंगत शीर्ष से बजटीय प्रावधान कराते हुए राशि आवंटित की जायेगी।

निर्णय :- 05

चक्रवातीय तूफान "YAAS" से हुए मकान क्षति के निमित्त अनुग्रह अनुदान हेतु :-

क्र० सं०	जिला का नाम	पत्रांक/दिनांक	अधियाचित राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	राँची	08/12.01.2024	48,87,481	48,87,481
2.	लातेहार	155/16.02.2024	10,000	10,000
कुल			48,97,481	48,97,481

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यशीर्ष-2245 अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-113-घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता, उप शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापना, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43-अनुरक्षण मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) (विपत्र कोड-39-S-2245-02-113-02-00-05-43) से भुगतान किया जाना है। इस मद में 30,00,00,000/- (तीस करोड़) रुपये की उपबंधित राशि के विरुद्ध वर्तमान में 29,99,04,900/- रुपये शेष है।

₹ 48,97,481/- के राशि की स्वीकृति के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

निर्णय :- 06

चक्रवातीय तूफान "YAAS" से हुए फसल क्षति के निमित्त अनुग्रह अनुदान हेतु :-

क्र०सं०	जिला का नाम	पत्रांक/दिनांक	अधियाचित राशि	स्वीकृत राशि
1.	राँची	08/12.01.2024	8,79,414	8,79,414

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यशीर्ष-2245 अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उप शीर्ष-01-कृषि इनपुट अनुदान, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43-अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (विपत्र कोड-39-S-2245-02-114-01-00-05-43) से भुगतान किया जाना है। इस मद में 100,00,00,000/- (एक सौ करोड़) रुपये की उपबंधित राशि के विरुद्ध वर्तमान में 98,10,00,000/- रुपये शेष है।

उक्त अधियाचना के स्वीकृति के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

निर्णय :- 07

जिला आपदा प्रबंधन योजना को नये सिरे से पुनर्गठित करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा तैयार Model Framework for Disaster Management Plan एवं Explanatory notes for Preparation of District Disaster Management Plan के आधार पर District Disaster Management Plan बनाने संबंधी प्राप्त निदेश के क्रम में विभागीय पत्रांक-81, दिनांक-02.02.2023 आलोक में जिलों द्वारा अधियाचित राशि की विवरणी निम्नवत है :-

क्र०सं०	जिला का नाम	पत्रांक/दिनांक	अधियाचित राशि	स्वीकृत राशि
1.	राँची	18(I)/25.01.2024	10,00,000	10,00,000
2.	सिमडेगा	1597/17.10.2023	4,00,000	4,00,000
3.	साहेबगंज	14/05.02.2024	6,00,000	6,00,000
कुल योग -			20,00,000	20,00,000

जिला आपदा प्रबंधन योजना को नये सिरे से पुनर्गठित करने हेतु जिलों द्वारा अधियाचित राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य शीर्ष-2245 अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उप शीर्ष-01- विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59-अन्य व्यय (विपत्र कोड-39-S-2245-80-102-01-00-07-59) के अन्तर्गत इस विपत्र कोड में पर्याप्त राशि उपलब्ध है।

उक्त अधियाचना के स्वीकृति के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

निर्णय :- 08

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-02/324/OPS/2022/1358, दिनांक-24.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा "Conduct of State Level Mock Exercise on Floods Disaster in Jharkhand" के निमित्त दिनांक-19.12.2023 को Table Top Exercise (TTEEx) एवं दिनांक-21.12.2023 को Flood Mock Exercise आहुत की गई। इस निमित्त विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए प्राप्त विपत्रों के भुगतान हेतु संगत मद में कुल 3,02,000/- (तीन लाख दो हजार) रुपये की राशि विभागीय लेखा प्रभारी द्वारा अधियाचित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यशीर्ष-2245 अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-101-विनाश का सामना करने के प्रशिक्षण केन्द्र, उप शीर्ष-16-वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में क्षमता संवर्द्धन, विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय, 21-सेमिनार/समारोह/कार्यशाला (विपत्र कोड-39-S-2245-80-101-16-00-03-21) में 1,80,95,000/- (एक करोड़ अस्सी लाख पन्चानवे हजार) रुपये की राशि उपबंधित है।

उक्त अधियाचना के स्वीकृति के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

निर्णय :- 09

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL), बँगलोर द्वारा झारखण्ड के चार केन्द्रों यथा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC), राँची एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC)- धनबाद, देवघर एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) में अधिष्ठापित VSAT का Satellite Bandwidth Charge वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 क्रमशः रुपये 5,95,748/- एवं रुपये 5,95,748/- कुल 11,91,496/- रुपये मात्र की राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यशीर्ष-2245 अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-101-विनाश का सामना करने के प्रशिक्षण केन्द्र, उप शीर्ष-16-वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में क्षमता संवर्द्धन, विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय, 15-कार्यालय व्यय (विपत्र कोड-39-S-2245-80-101-16-00-03-15) में उपबंधित राशि 5,00,00,000/- (पाँच करोड़) रुपये से किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

निर्णय :- 10

राज्य के विशिष्ट स्थानीय आपदा सर्पदंश एवं वज्रपात से प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में घटना का स्थल एवं तिथि की विवरणी सभी जिलों से प्राप्त कर 'सर्पदंश' एवं 'वज्रपात' की घटना की Geographic एवं Time Mapping कराना सुनिश्चित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई।

निर्णय :- 11

गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-33-03/2021-NDM-I, दिनांक-12.01.2022 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के आलोक में राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत संचित राशि को निवेश करने के संबंध में वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/-

(आलोक त्रिवेदी)
प्रतिनिधि,
स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा
एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ह०/-

(प्रशांत कुमार)
सचिव,
वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ह०/-

(अमिताभ कौशल)
सचिव,
आपदा प्रबंधन प्रभाग,
झारखण्ड, राँची।

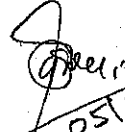
ह०/-

(एल० खियांगते)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक- 05/अधियाचना(बैठक)-16/2021- 114 आ०प्र०, राँची, दिनांक- 06.03.2024

प्रतिलिपि - माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/अवर सचिव, प्रभारी शाखा-09 (बजट प्रशाखा) एवं अन्य सम्बन्धित प्रशाखा, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


05/3/2024
(विजय कुमार)
सरकार के अवर सचिव।